परिक्षेत्रीय कार्यालय, परिक्षेत्र बस्ती

प्रेस नोट
दिनांक – 27-06-2026

- **डीआईजी बस्ती द्वारा परिक्षेत्र के जनपदो के पुलिस अधीक्षकगण व अपर पुलिस अधीक्षकगण के साथ की गयी मासिक अपराध समीक्षा गोष्ठी।**
- **सम्बन्धित को दिये आवश्यक दिशा-निर्देश।**

आज दिनांक 27.06.2026 को परिक्षेत्रीय कार्यालय बस्ती के सभागार में पुलिस उपमहानिरीक्षक बस्ती परिक्षेत्र बस्ती श्री संजीव त्यागी द्वारा परिक्षेत्र के जनपद बस्ती, सिद्धार्थनगर एवं संतकबीरनगर के पुलिस अधीक्षक व अपर पुलिस अधीक्षकगण के साथ मासिक अपराध समीक्षा गोष्ठी की गयी ।

डीआईजी बस्ती द्वारा गोष्ठी के दौरान लंबित विवेचनाओ/आंशिक विवेचनाओ का प्राथमिकता के आधार पर समयान्तर्गत शीघ्र निस्तारण कराने, अधिकाधिक निरोधात्मक कार्यवाही कराने, गैंगेस्टर, वांछित, पुरस्कार घोषित ,जिला बदर, NBW अभियुक्तों की शत-प्रतिशत गिरफ्तारी कराने, चोरी तथा वाहन चोरी की घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण कराने, गो-तस्करी की प्रभावी रोकथाम, रात्रिकालीन सघन चेकिंग, संगीनअपराध,महिला अपराध एवं एससी/एसटी,पाक्सो एक्ट से संबंधित मामलों मे त्वरित प्रभावी कार्यवाही कराने, जनपद स्तर पर साइबर एक्शन प्लान के तहत कार्यवाही कराने, यक्ष ऐप पर शेष अपराधियो का सत्यापन शीघ्र पूर्ण कराने, बीट सूचनाओ मे थाना प्रभारी /क्षेत्राधिकारीगण से टिप्पणी अंकित कराने,साइबर अपराध, CCTNS, IGRS, NCRB ,कर्मयोगी पोर्टल CM डैशबोर्ड, JMIS आदि पोर्टलो की निरन्तर निगरानी कराते हुए आवश्यक कार्यवाही कराने, पब्लिक ग्रीवांस रिव्यू पोर्टल, मुख्यमंत्री जनता दर्शन एवं अन्य उच्चस्तरीय शिकायत पोर्टलों पर प्राप्त प्रार्थना-पत्रों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण कराने,साईबर अपराध से सम्बन्धित मोबाइल/IMEI नम्बर अधिकाधिक ब्लाक कराने,ICJS, NAFIS, CEIR व अन्य सभी पोर्टलो का नियमित उपयोग व फीडिंग कराने, i RAID ऐप पर सभी दुर्घटनाओ की फीडिंग कराने, महिला अपहृता/ गुमशुदा की शत प्रतिशत बरामदगी कराने,14(1) गैंगस्टर एक्ट व 107 BNSS के तहत संपत्ति जब्तीकरण की कार्यवाही कराने, अधिकाधिक एमाउन्ट लीन कराने,मिशन शक्ति केन्द्र व परिवार परामर्श केन्द्र को और प्रभावी बनाने, आपरेशन गैगेस्टर एक्ट के अभियोगो के निस्तारण व गुण्डा एक्ट के तहत जिला बदर व धारा 10 के तहत कार्यवाही कराने, आपरेशन दहन आदि अभियान के तहत कार्यवाही कराने, ITSSO पोर्टल पर 45 दिवस से अधिक लंबित अभियोगों का शीघ्र निस्तारण कराने हेतु निर्देशित किया गया।

डीआईजी बस्ती द्वारा नियम 14(1) एवं 14(2) के अंतर्गत लंबित विभागीय पत्रावलियों, प्रारम्भिक जाँच, मृतक आश्रित सेवायोजन एवं चिकित्सा प्रतिपूर्ति से संबंधित प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण करने, साइट्रेन व IGOT ऐप पर सभी शेष कर्मियो का प्रशिक्षण शीघ्र पूर्ण कराने हेतु आवश्यक निर्देश दिया गया।कम्यूनिटी पुलिसिंग के सम्बन्ध मे विस्तार से चर्चा की गयी तथा गम्भीरता से लेकर उस पर कार्य करने हेतु निर्देशित किया गया ।यातायात/ सड़क दुर्घटना के रोकथाम हेतु विस्तार से जानकारी देकर सभी को ट्रैफिक एक्शन प्लान तैयार कर कार्यवाही कराने, ड्रग्स के सम्बन्ध मे एक्शन प्लान तैयार कर कार्यवाही कराने हेतु निर्देशित किया गया ।

उक्त गोष्ठी में पुलिस अधीक्षक बस्ती डॉ0 यशवीर सिंह, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर डॉ. अभिषेक महाजन,पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर श्री संदीप कुमार मीना व अपर पुलिस अधीक्षकगण , व परिक्षेत्रीय कार्यालय के शाखा प्रभारीगण / कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

मीडिया सेल
परिक्षेत्र बस्ती